FORM No. 111

फर्द्ध अहकाम

(नियम 26)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अदालत.....जिला कलक्टर.....मुकाम.....श्रीगंगानगर.....

.....**बृजमोहन–ममता**.....बनाम्.....**श्यामलाल**.....

किस्म मुकदमा :–अपील भरणपोषण मिसल नम्बरः–**05/2018**

तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख
30–01–2018	पत्रावली पेश हुई। आज अपीलार्थीगण उपस्थित नही है और न ही उसकी ओर से अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी संख्या 1–बृजमोहन जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्यामलाल का पुत्र है व अपीलार्थी सं0 2–श्रीमति ममता पत्नि बृजमोहन जो कि श्यामलाल की पुत्रवधु है, ने उपखण्ड मजि0 श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 2/18 श्यामलाल बनाम बृजलाल में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2018 के विरूद्ध यह अपील धारा 16(1) माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश की है जिसमें उनके द्वारा अधिवक्ता श्री जरनेल सिंह टुरना के माध्यम से पैरवी करने की अनुमति भी चाही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजि0 श्रीगंगानगर ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 23.01.2018 को निम्न आदेश पारित किया है:– –::आदेश::– **पत्रावली के तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया गया। दौराने बहस अप्रार्थी संख्या 2 ने कहा कि वह सुसाइड (स्वेच्छिक मृत्यु) करेगी। इस बाबत अप्रार्थी संख्या 2 को धारा 107, 116(3) सी.आर.पी.सी. में पाबंद करने की कार्यवाही की गई। दोनो पक्षो में हुई रजामंदी के तहत अप्रार्थी संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 2 सात दिवस के भीतर प्रार्थी का मकान खाली कर प्रार्थी को मकान सुपुर्द करें। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा भरण पोषण की मांग नही की गई है। अतः 7 दिवस में मकान खाली कर सूचित करें।** उक्त अपीलकृत आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के पिता श्री श्याम लाल पुत्र फलाराम के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश दिनांक 23.01.18 अपीलार्थीगण के विरूद्ध पारित किया है। अपीलार्थी संख्या 1	

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

बृजमोहन जो कि श्यामलाल का पुत्र है और अपीलार्थी सं0 2 श्रीमति ममता जो कि श्यामलाल की पुत्रवधु है, ने यह अपील धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश की है और अधिवक्ता श्री जरनेल सिंह टुरना के माध्यम से पैरवी की अनुमति चाही है। इस संबंध में सर्वप्रथम यह तय किया जाना उचित होगा कि:–

1– क्या अपीलार्थीगण को धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत इस अधिकरण में अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता है अथवा नही?

2– क्या उक्त अधिनियम के तहत अपीलार्थीगण को अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी करने की अनुमति दी जा सकती है अथवा नही?

इस संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 16(1) व 17 अवलोकनीय है निम्न प्रकार से है:–

धारा 16.अपील–(1) अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता, आदेश की तिथि से साठ दिवसों के अंदर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा,

परन्तु अपील पर, सन्तान या सम्बन्धी, जिससे ऐसे भरण–पोषण के आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता–पिता को अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित ढंग में इस प्रकार आदेशित धनराशि का लगातार भुगतान करता रहेगा:

परन्तु यह और कि अपील अधिकरण साठ दिनो की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपदलस को अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसे समाधान है कि अपीलार्थी समय सीमा के अन्तर्गत अपील दाखिल करने हेतु पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था।

धारा 17. विधिक प्रतिनिधि का अधिकार :–किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व विधि व्यवसायी द्वारा नही किया जाएगा।

जहां तक अपीलार्थीगण की यह प्रार्थना कि उसे अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी करने की अनुमति दी जावे। उक्त धारा 17 के अनुसार अपील अधिकरण या अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के किसी भी पक्षकार का प्रतिनिधित्व विधि व्यवसायी द्वारा करना वर्जित किया गया है।

दूसरा जहां तक धारा 16 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने का संबंध है। उक्त धारा 16(1) के अनुसार अधिकरण के आदेश से व्यथित केवल वरिष्ठ नागरिक व माता–पिता के द्वारा ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर.एल.आर. (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार आदि बनाम अरविन्दकुमार वगैरा के पैरा 13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये है:–

> **13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099,**
> **This Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law . [See also- Vice Chancellor , university of Allahabad & Ors.Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors.; AIR 2002 SC 629]**

चूंकि उक्त अधिनियम 2007 की धारा 17 के अनुसार विधि व्यवसायी के माध्यम से किसी पक्षकार को अपील अधिकरण/ अधिकरण में प्रतिनिधित्व करने से वर्जित किया गया है और धारा 16(1) के अनुसार केवल वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता के द्वारा प्रस्तुत अपील को ही इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है और किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने की अधिनियम में कोई अधिकारिता नही दी गई है। इसलिए **माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए** माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 17 के प्रावधानो से बाहर जाकर विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व करने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती और न ही संतान या संबंधी के रूप में प्रस्तुत की गई किसी अपील पर उक्त अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के विपरीत कोई अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जा सकती है। इसलिए अपीलार्थीगण द्वारा विधि व्यवसायी के माध्यम से पैरवी करने की अनुमति सम्बन्धी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.01.2018 खारिज किया जाता है एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील जो कि अपीलार्थी सं0 1 बृजमोहन द्वारा बतौर पुत्र व अपीलार्थी सं0 2 श्रीमति ममता द्वारा बतौर पुत्रवधु के रूप में प्रस्तुत की गई यह अपील एडमिशन की स्टेज पर ग्रहण योग्य न होने के कारण, खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट को भिजवाई जावे। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भी भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर